

पत्र संख्या-स्था-5(ख)-ज्येष्ठता सूची (लिपिक संवर्ग)-2024-25//

5112

//राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश,

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक 17 जनवरी, 2025

### समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक)

राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

अवगत कराना है कि मुख्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या-53 दिनांक 10-04-2023 के माध्यम से राज्य कर विभाग में दिनांक 30-06-2021 तक मौलिक रूप से नियुक्त लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची प्रसारित की गयी थी। वर्तमान में राज्य कर विभाग में दिनांक 31-12-2024 तक नियुक्त कनिष्ठ सहायकों का नाम भी ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित किया जाना है।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है कि राज्य कर विभाग में दिनांक-01-07-2021 से 31-12-2024 के मध्य मौलिक रूप से नियुक्त तथा आपके सम्भाग के अन्तर्गत कार्यरत कनिष्ठ सहायकों का संकलित सेवा विवरण ज्येष्ठता सूची में सम्मिलित किये जाने हेतु निम्न निर्धारित प्रारूप में विलम्बतम 21-02-2025 तक मुख्यालय को उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें। ताकि ऐसे कर्मिकों की संकलित सूची अनन्तिम रूप से जारी करते हुए नियमानुसार ज्येष्ठता सूची को अध्यावधिक किया जा सके।

(विभाग में दिनांक-01-07-2021 से 31-12-2024 के मध्य मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ सहायकों का विवरण)

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	जाति/ उप जाति	पिता/ पति का नाम	जन्म तिथि	गृह जनपद	नियुक्ति के आदेश का दिनांक	कार्यभार ग्रहण तिथि	स्थायीकरण की तिथि	वर्तमान तैनाती	चयन का प्रकार	दिव्यांगता की श्रेणी (यदि कोई दिव्यांग हो)
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12

कृपया यह भी सुनिश्चित कर लें कि उपरोक्त वॉछित सूचना प्रेषित करते हुए यदि कोई कनिष्ठ सहायक दिव्यांगजन श्रेणी में है तो उसके नाम के सम्मुख कालम 12 में उसकी दिव्यांगता के प्रतिशत का स्पष्ट उल्लेख करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति सूचना उपलब्ध कराये।

(सुनील कुमार वर्मा)

अपर आयुक्त (प्रशासन)राज्य कर,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पृष्ठांकन-संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर उत्तर प्रदेश।
- 2- समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-2 राज्य कर उत्तर प्रदेश।

DC (LI)  
14/02/2025  
4202

- 3- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर मुख्यालय की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु ।
- 4- समस्त उपायुक्त (प्रशासन)/ आहरण वितरण अधिकारी राज्य कर उत्तर प्रदेश ।
- 5- पटल प्रभारी स्था0-5(क) राज्य कर मुख्यालय ।



(मोहम्मद इलियास)

संयुक्त आयुक्त (स्था0अराज0)राज्य कर,  
मुख्यालय लखनऊ ।